# कार्यालय जिलाधिकारी, खगड़िया

## (जिला सामान्य शाखा)

## आदेश

मसो0 सावित्री देवी, पति–स्व0 ब्रह्मदेव प्रसाद यादव, ग्राम–शेरगढ़, थाना–गोगरी, जिला–खगड़िया ने अपने पति के मृत्योपरान्त उनके नाम पर धारित शस्त्र अनुज्ञप्ति संख्या–14/1985 पर धारित राईफल संख्या–85-AB044 को भागलपुर अथवा मुंगेर स्थित मान्यताप्राप्त प्रतिष्ठान में जमा करने का अनुरोध किया है। जिसमें अनुज्ञप्ति पुस्तिका के अनुपलब्ध होने बात स्वीकरा गया है। उक्त के संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक 844/जी0, दिनांक 11.09.2018 द्वारा थानाध्यक्ष गोगरी से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। जाँच प्रतिवेदन के आलोक में थानाध्यक्ष, गोगरी के DR-2071/18, दिनांक 01.10.2018 द्वारा प्रतिवेदित किया गया अनुज्ञप्ति पुस्तिका की मूल प्रति घर में नहीं मिलने के कारण उक्त शस्त्र को भागलपुर/मुंगेर स्थित किसी प्रतिष्ठान में जमा करने का अनुशंसा किया गया है।

उक्त अनुरोध एवं अनुशंसा के आलोक में शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17 (4) के आलोक में शस्त्र अनुज्ञप्ति रद्द करते हुए उक्त अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र भागलपुर गन हाउस, भागलपुर में जमा करने का आदेश संचिका संख्या–IV-22/2016-17 के टिप्पणी पृष्ठ–43, पर जिला दण्डाधिकारी द्वारा पारित किया गया है।

अतः उक्त के आलोक में शस्त्र अनुज्ञप्ति संख्या–14/1985 (गोगरी थाना) को शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17 (4) के आलोक में शस्त्र अनुज्ञप्ति रद्द करते हुए उक्त अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र भागलपुर गण हाउस, भागलपुर में जमा करने का आदेश दिया जाता है तथा आवेदिका को निदेशित किया जाता है कि शस्त्र जमा करते हुए प्राप्ति रसीद की मूल प्रति कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

ह0/-

जिला शस्त्र दण्डाधिकारी,
खगड़िया

**ज्ञापांक- IV-22/2016-17 1024/जी0 दिनांक 31.10.18**

प्रतिलिपि– मसो0 सावित्री देवी, पति–स्व0 ब्रह्मदेव प्रसाद यादव, ग्राम–शेरगढ़, थाना–गोगरी, जिला–खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– थानाध्यक्ष, गोगरी थाना (जिला–खगड़िया) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। मसो0 सावित्री देवी, पति–स्व0 ब्रह्मदेव प्रसाद यादव, ग्राम–शेरगढ़, थाना–गोगरी, जिला–खगड़िया को संबंधित पत्र तामिला कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि– भागलपुर गण हाउस, आर्म्स एण्ड एम्यूनेशन डीलर, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– पुलिस अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी/जिला आई0टी0प्रबंधक, खगड़िया को जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई–मेल से भेजने हेतु प्रेषित।

31.10.2018

जिला शस्त्र दण्डाधिकारी,
खगड़िया।